

प्रपत्र संख्या-2

(नियम 4 के अन्तर्गत निर्धारित)

पंजीयन हेतु तथा वर्ष के लिये लाइसेंस स्वीकृति या नवीनीकरण हेतु आवेदन-पत्र धारा 6 और 7 में निर्दिष्ट कब्जे का नोटिस (तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना चाहिये)

1. फैंक्ट्री का पूरा नाम यदि फैंक्ट्री से
पूर्व पंजीयन कर ली गई है तो फैंक्ट्री के लाइसेंस की संख्या भी दीजिये.....
2. (क) फैंक्ट्री का ड्राफ्ट का पूरा पता तथा स्थिति
.....
(ख) पूरा पता जहां फैंक्ट्री से सम्बन्धित मल भेजे जायें
निर्माण प्रक्रिया या प्रक्रियाएं जो कि :
3. (क) फैंक्ट्री में पिछले 12 महीने में चालू रही (यह सूचना
पहले से विद्यमान फैंक्ट्रियों के मामले में देनी है)
(ख) फैंक्ट्री में आगामी बारह महीनों चालू रखी जानी है
(यह सूचना सभी फैंक्ट्रियों के मामले में दी जानी है)
4. पिछले 12 महीनों में निर्माण किये गये मुख्य उत्पादकों का
का नाम तथा मूल्य
5. (1) वर्ष के दरम्यान किसी भी दिन नियोजित किये जाये
वाले प्रस्ताविक श्रमिकों (वर्कर्स) की अधिकतम संख्या
(2) पिछले 12 महीनों में किसी एक दिन नियोजित
श्रमिकों की अधिकतम संख्या
(3) फैंक्ट्री में सामान्यतया नियोजित श्रमिकों की संख्या
6. (1) संस्थापित यंत्रिक शक्ति का स्वरूप तथा उसकी
कुल मात्रा (एच. पी.)
(2) उपयोग में ली जाने वाली बिजुली (किसी अन्य
यान्त्रिक शक्ति) की प्रस्तावित अधिकतम मात्रा
(एच. पी.)
7. उस व्यक्ति का पूरा नाम तथा निवास स्थान का पता, जो श्री
इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ फैंक्ट्री का व्यवस्थापक होगा ।
8. कब्जेदार का पूरा नाम तथा निवास स्थान का पता:— श्री
(i) प्राइवेट फर्मों, स्वत्वधारी व्यापारिक संस्थाओं के
मामले में फैंक्ट्री का मालिक (उसी कब्जेदारों के नाम)
(ii) पब्लिक लिमिटेड दायित्व/कॉर्पोरेशन के मामले में निदेशक
(iii) जहां मैनेजिंग एजेंट नियुक्त किया गया हो का वहां
मैनेजिंग एजेंटों तथा निदेशक/कर्मियों के साथ

(iv) : गैरसरकारी कम्पनी के मामले में जहाँ कोई मैनेजिंग एजेंट नियुक्त नहीं किया गया है, हिस्सेदारों के नाम

(v) किसी राजकीय या स्थानीय निजी फ़ैक्ट्री या विधिवत् मण्डल अथवा समुदाय द्वारा संचालित फ़ैक्ट्री के मामलों में मुख्य प्रभावी अध्यक्ष अथवा अन्य कोई अधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा नियोजित कब्जेदार हो

9. धारा 93 में निदिष्ट भू-गृहादि या भवन (जिन्हमें उसकी सीमाएं भी शामिल होंगी), के स्वामी का पूरा नाम तथा पता

10. उस फ़ैक्ट्री के मामले में जिसका निर्माण इन नियमों के लागू होने के पश्चात् किया गया है —

(क) स्थान सम्बन्धी प्लान की, वह है वह पुराने भवन के लिये हो या नये भवन के लिये तथा फ़ैक्ट्री के निर्माण या विस्तार की राज्य सरकार/मुख्य निरीक्षक द्वारा अनुमति की सन्दर्भ तथा तारीख

(ख) व्यापार अवशिष्ट (ट्रेडवेस्ट) तथा बेकार वस्तुओं के निपटारे के लिये की गई व्यवस्था, यदि कोई हो, की अनुमति की सन्दर्भ संख्या तथा तारीख तथा उक्त अनुमति देने वाले अधिकारी का नाम

शुल्क की राशि रु. () :-

(1) दिनांक को
कोषागार में

भुगतान की गई (देखिये चाञ्चल संख्या) (संलग्न है)

(2) मुख्य निरीक्षक फ़ैक्ट्रीज के पक्ष में आहरित बैंक ड्रापट/ रेखांकित चेक मंख्या..... तारीख द्वारा भेजी गई है।

कब्जेदार के हस्ताक्षर (मालिक) एवं पूरा नाम
तारीख.....

व्यवस्थापक के हस्ताक्षर (मैनेजर) एवं पूरा नाम
तारीख.....

नोट:- (1) यह प्रपत्र स्याही से बड़े अक्षरों में या टाइप द्वारा भरा जाना चाहिये।

(2) यदि इस प्रपत्र को भरने के समय विद्युत् काम में नहीं ली जाती हो तथा बाद में काम में ली जाने लगी हो तो इस बात की सूचना मुख्य निरीक्षक को तुरन्त दी जानी चाहिये।

(3) यदि मद 8 में बताये गये व्यक्तियों में से कोई व्यक्ति अवयस्क हो तो यह बात स्पष्ट रूप से बतलाई जानी चाहिये।

(4) उस फ़ैक्ट्री के मामले में जिसमें कोई व्यक्ति धारा 100 की उप-धारा (1) तथा (2) के पर-तुक के अधीन कब्जेदार के रूप में मनोनित कर दिया गया हो तो मद 8 में अपेक्षित सूचना केवल उस व्यक्ति के बारे में ही दी जानी चाहिए।

(5) उस फ़ैक्ट्री के मामले में, जिसके मैनेजिंग एजेंट या एजेंटों की इण्डियन कम्पनीज एक्ट 1913, 1913 (6) के अन्तर्गत कब्जेदार नियुक्त किया गया हो वहाँ मद 8 में अपेक्षित सूचना उस व्यक्ति/व्यक्तियों के बारे में ही दी जानी चाहिए।